न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 13/2023 अपील

1. लादू पिता देवा जाट निवासी हाजियास तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, अपील विरूद्व नायब तहसीलदार हुरडा प्रकरण संख्या 60/2023 निर्णय दिनांक 20.01.2023

उपस्थित –
श्री सत्यनारायण सोमाणी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 31.03.2023

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार हुरडा प्रकरण सं0 60/2023 निर्णय दिनांक 20.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को ग्राम हाजीयास की आराजी संख्या 426 रकबा 0.05 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमी मान 5/– रू. जुर्माना एवं बेदखली का आदेश पारित करने मे भारी भूल की हैं, अपीलाण्ट के पिता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर जो निर्णय पारित किया हैं वह विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। पटवार हल्का फलामादा ने अपीलाण्ट को ग्राम हाजीयास की आराजी संख्या 426 रकबा 0.05 हेक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा होना बताते हुए कब्जे की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु नोटिस दिनांक 20.01.2023 का जारी किया। दिनांक 20/01/2023 को अपीलाण्ट नोटिस की पालना में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, तब संबंधित रीडर द्वारा अपीलाण्ट को यह कहा गया कि प्रकरण में उनकी हाजरी हो गई हैं, आगामी पेशी बाबत सूचित कर दिया

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

जावेगा तत्पश्चात अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दिनांक 20/01/2023 को ही अपीलाण्ट के विरूद्ध बेदखली एवं जुर्माने का आदेश पारित कर दिया एवं पत्रावली में मात्र पटवारी हल्का रिपोर्ट को आधार मानते हुए आदेश पारित किया गया है। पत्रावली में पटवारी हल्का के कोई बयान कलमबद्ध नहीं किये गये है। वादग्रस्त आराजियात जो कि आबादी भूमि के सटमा है तथा उस पर अपीलाण्ट का कब्जा काफी लम्बे समय से पक्का निर्माण होकर मकान बने होकर अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है एवं अपीलान्ट के पशुधन उसी में बंधते है। इस प्रकार अपीलाण्ट बीपीएल की श्रेणी में आता है, एवं नियमन की पात्रता रखता हैं तथा काफी लागत लगाकार कब्जेसुदा आराजीयात पर मकान व चारदीवारी का निर्माण किया है तथा मौके पर अपीलान्ट अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। वादग्रस्त आराजीयात जो कि आबादी भूमि के सटमा है उस पर अपीलान्ट के अलावा बहुत से अन्य व्यक्तियों ने भी बाड़े बनाकर निर्माण किया हुआ है लेकिन पटवारी हल्का को राजनैतिक द्वेषता की शिकायत के आधार पर उक्त प्रकरण मात्र प्रार्थी के विरूद्ध ही बनाया है। सम्पूर्ण आराजीयात की कोई मौका रिपोर्ट नहीं ली गयी है। अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा है तथा जानकारी होते ही अपीलाण्ट द्वारा तत्काल ही निर्णय की नकल बाबत आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर यह अपील जानकारी से अन्दरअवधि प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाते हुए अपीलाण्ट का कब्जा काफी लम्बे समय से है, इस कारण अपीलाण्ट को उपरोक्त वर्णित आराजियात का नियमन किये जाने की अनुसंशा प्रदान फरमाई जाये।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 23.02.2023 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को ग्राम हाजीयास की आराजी संख्या 426 रकबा 0.05 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमी मान 5/- रू. जुर्माना एवं बेदखली का आदेश पारित करने मे भारी भूल की हैं, अपीलाण्ट के

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पात्रता रखता हैं।

चूंकि अपीलार्थी स्वयं ने ही अपनी अपील मेमों मे अंकन किया है कि उक्त आराजी पर अपीलार्थी ने पक्का निर्माण किया हुआ हैं। इससे स्पष्ट होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत जो प्रकरण दर्ज किया जाकर निर्णय पारित किया हैं उसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं।

यदि अपीलार्थी का प्रश्नगत आराजी पर निरन्तर कब्जा था तो अपीलार्थी को नियमन कराने हेतु सक्षम अधिकारी के यहां आवश्यक कार्यवाही की जानी थी। राजस्व रिकार्ड मे प्रश्नगत आराजी संख्या 426 किस्म गे.मु. उसर है। जिस पर अतिक्रमी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के पक्का निर्माण करा अतिक्रमण किया हुआ था, जिस पर पटवारी हल्का ने अतिक्रमण रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 60/2023 निर्णय दिनांक 20.01.2023 को जो निर्णय पारित किया है, वह न्यायोचित प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार, हुरडा बमामले प्रकरण सं. 60/2023 निर्णय दिनांक 20.01.2023 के क्रम में अपील आधारहीन एवं सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विधिक दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत परिपत्रों के क्रम में अपीलार्थी सक्षम अधिकारी के यहां चाराजोही किये जाने बाबत् स्वतंत्र हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हुरडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा